थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा कस्बा मोहाली मे मकान ध्वस्त होने के कारण एक महिला व एक बच्चे (कुल 02 मृतक) की मृत्यु की घटना के आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

श्री आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूं के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी बिल्सी बदायूं के नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र सिंह की अगुवाई में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 03.02.2024 को थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 142/24 धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 व धारा 304/427 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त असगर अली पुत्र इमामी निवासी मौ0 मोहाली कस्बा व थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं हाल निवासी खचेड़ा होटल के पास बिसौली रोड कस्बा व थाना इस्लामनगर को सहसवान तिराहे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को संबंधित मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 01.02.2024 को थाना इस्लामनगर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा इस्लामनगर के मोहल्ला मोहाली मे विस्फोट से एक दो मंजिला इमारत गिर गयी थी जिसके मलबे मे दबकर 02 व्यक्तियों (एक महिला व एक बच्चे) की मृत्यु हो गयी थी। घटना के सम्बन्ध मे थाना इस्लामनगर पर मु0अ0सं0 142/24 धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 व धारा **304/427 भादवि बनाम असगर अली आदि 02 अभि0गण पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

असगर अली पुत्र इमामी निवासी मौ0 मोहाली कस्बा व थाना इ0नगर बदायूं हाल निवासी खचेडा होटल के पास बिसौली रोड कस्बा व थाना इस्लामनगर।

गिरफ्तारी स्थल व दिनांक- सहसवान तिराहा कस्बा इस्लामनगर दिनांक 03.04.2024

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 142/24 धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 व धारा 304/427 भादवि थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं।

विवरण बरामदगी- दिनांक 01/02.04.2024 को घटनास्थल से एक बड़ा सिलिण्डर बोरी मे लिपटा हुआ, 41 सुतली बम, अर्द्धनिर्मित 02 अदद, 05 नाल वाली आतिशबाजी, अर्द्धनिर्मित 34 पटाखो के छोटे गत्ते के टुकडे गोल, अर्द्धनिर्मित 03 रोशनी वाली लाईट बारुद कोयला मिक्स, 05 लोहे के स्टैण्ड अनार व बारुद वाले पटाखे चलाने के व एक लोहे का बड़ा स्टैण्ड बम पटाखे चलाने व 04 विजिटिंग कार्ड बरामद हुए थे।

पूछताछ का विवरण- दौराने पूछताछ गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि साहब मेरे आतिशबाजी / पटाखों का लाईसेन्स दिनाँक 31.03.2023 से नवीनीकरण नही हो पाया था । इसलिये गोदाम मे जो माल (आतिशबाजी / पटाखे) तैयार रखा था उसे मैने मोहल्ला मोहाली कस्ब इस्लामनगर मे रख दिया था किसी कारण वश आग लगने से धमाका होकर मकान ध्वस्त हो गया था । मेरे बेटे की पत्नी सलामत व पोता तैमूर की मकान मे दबने से मृत्यु हो गई और 2 पोतिया अर्फी व तमन्ना भी मलबे से निकाली थी जिनकी जान बच गई । साहब जिस मकान मे घटना हुई है उस मकान मे मेरे बेटा अख्तर अपने परिवार के साथ रह रहा था ।

अपराध करने का तरीका- आतिशबाजी / पटाखो का लाईसेन्स के आड मे जो दिनाँक 31.03.2023 से नवीनीकरण भी नही है के गौदाम के माल को मोहल्ला मोहाली कस्बा व थाना इस्लामनगर मे रख कर गैर कानूनी तरीके से आतिशबाजी/ पटाखे बनाते है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र सिहं थाना इ0नगर बदायूं,
2. नि0अ0 श्रीमती सिमरजीत कौर थाना इ0नगर बदायूं,
3. उ0नि0 श्री राजदीप सिह थाना इ0नगर बदायूं,
4. हे0कां0 563 हरिओम सिंह थाना इ0नगर बदायूं तथा
5. कां0 1158 गोविन्द यादव थाना इ0नगर बदायूं ।

सोशल मीडिया सेल,

जनपद बदायूं ।